बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक–04....../ अमनौर, दिनांक– 2-2-2023

श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी का कार्यालय, अमनौर, सारण।

प्रेषक,

श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
अमनौर, सारण।

सेवा में,

R.S.K. Global School
c/o– संगीता सिंह,
ग्रा– समधुआ, पो0 –अमनौर (सारण), पिन– 841402

विषयः– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधि0– 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधि0– 1996 के प्रावधानो के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रत्येक योजनाओं के लागत का 01% (एक प्रतिशत) सेस के रूप में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि आपके निर्माण स्थल पर विगत कई वर्षो से जो निर्माण कार्य हुआ है, अथवा हो रहा है, उससे संबंधित सेस कार्यालय को अप्राप्त है। आपके द्वारा स्वयं निर्माण कार्य किया गया/जा रहा है अथवा किसी संवेदक के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है/करवाया गया है, से संबंधित सूचना कार्यालय को अप्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत आपके द्वारा कराये गये उक्त निर्माण कार्यो के कुल लागत राशि का 01% (एक प्रतिशत) सेस के रूप में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना है। किन्तु आपके द्वारा अभी तक न ही अपने स्थापना का निबंधन कराया गया है और न ही लागत का 01% (एक प्रतिशत) सेस के रूप में जमा किया गया है। साथ ही इस संबंध में न ही आपके द्वारा प्रपत्र–1 में विवरणी दाखिल की गयी है।

उक्त अधिनियम की धारा–4 एवं नियमावली के नियम–6 के अनुसार निर्धारित समय पर नियोजक द्वारा विहित प्रपत्र में विवरणी निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाना है, किन्तु अनुपालन नहीं किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा–4 एवं नियमावली के नियम– 06 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त अधिनियम की धारा–08 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उपकर जमा नहीं करने पर जमा की जानेवाली राशि का 02% (दो प्रतिशत) सेस प्रतिमाह ब्याज के साथ नियोजक द्वारा उपकर राशि जमा किया जाना है।

अतः आपके निदेश दिया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र–1 में दिनांक– 20.1.2023 .... तक अब तक कराये गये समस्त निर्माण कार्य पर व्यय किये गये राशि का उपकर सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन पटना के नाम से डिमांड ड्राफ्ट पटना में भुगतेय जमा करें अथवा खाता संख्या– 35059942218, IFSC Code- SBIN0018815 में स्थानांतरण करें। साथ ही समस्त निर्माण कार्य पर व्यय किये गये राशि का दस्तावेज सहित प्रपत्र–1 दिनांक– 14-2-23 .... तक उपस्थापित करें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

नोट – 14-2-2023 को सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय S.K.J.P.M. Collage के पीछे उपस्थित होना अनिवार्य है।

[signature] 2/2
विश्वासभाजन

श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
अमनौर, (सारण)